

# विकास व्यवस्था के शिकार आदिवासी: संरक्षणात्मक भेदभाव का मसला

डॉ. प्रकाशचन्द्र जैन

भारतीय संविधान ने देश के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए एक प्रतिमान नियमिति किया है। इन कमज़ोर वर्गों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग आते हैं। सैकड़ों वर्षों तक ये कमज़ोर वर्ग नवाचारित उच्च हिंदू जातियों के शोषण और दमन को बदाशित करते आ रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान रखा है कि अब इन वर्गों के साथ में संरक्षणात्मक भेदभाव की जीति को अग्राह्य जाये। इसका मतलब है दूसरे वर्गों की तुलना में इन वर्गों को विकास के अनिश्चित अववार दिये जाये। इस दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों और जातियों के कलाण और विकास के समान अवसर राज्य ने दिये हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 19 (5), 23, 46, 330, 332, 334, 335 और 338 इन दोनों वर्गों के लिए समान रूप से साधु होते हैं। आदिवासियों के लिये जो विशेष अनुच्छेद लागू होते हैं वे हैं 29, 164, 244, 244 (A), 275 (1), 339 (1), 339 (2)। इन कमज़ोर वर्गों के लिए जो संरक्षणात्मक प्रावधान दिये जाये हैं उन पर देश में बगावर बहस होती रही है। यह कहा जाता रहा है कि ये प्रावधान आगे चलकर जातियों के बीच जो खाई और गहरा कर देंगे। इस तरह का विवाद आज भी चलता है, फिर भी अब लगभग सबने स्वीकार कर लिया है कि पिछड़े हुए वर्गों को विकास के ये अवसर देना देश के एकीकरण के लिए आवश्यक है।

जो संरक्षणात्मक भेदभाव है उसमें पहली सुविधा यह है कि

इन वर्गों को संसद तथा राजा विद्यानसभाओं में आरक्षण दिया जाये। हूसरे, संख्यात्मक प्रावधानों के अनुसार सरकारी तरफ अर्द्ध सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए, और तीसरा, इन वर्गों के लिए शिफ्ट सम्भाओं और विशेष जरूरत के उच्च शिक्षा में बहेयता पर आरक्षण दिया जाये। निरामानसर सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण किया है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 16.5 प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं और 8.0 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां हैं।

आरक्षण की यह नीति संगमण घट्टले पचास वर्गों से अमल से लौ जाने लगी है। इस अवधि ने इन कमज़ोर वर्गों की जनसंख्या में बहेयर तुद्दि हुई है। लेकिन इस तुद्दि के अनुगत में आरक्षण के कोटे में कोई ऐन-बदल नहीं हुआ है। हाथर रुचिकर यथा यह है कि आरक्षण के होते हुए भी सरकारी उच्च नौकरियों में अब भी वोटे के अनुसार कमज़ोर वर्गों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस विषय पर हम यहां चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य यहां यह बताना है कि सरकार ने विकास की जिस लवस्था वो अपनाया है उसमें कुछ इस तरह का खोट है या संरचनात्मक कमी है जिसके कारण अनुसूचित जातियों की तुलना में आदिवासियों की बहुत घोड़ा लाभ मिला है। हम आपने प्रबंध को प्रस्तुत करें इससे पहले यह कहना चाहेंगे कि आरक्षण की नीति दो स्तर पर निर्धारित होती है। एक स्तर तो केंद्र का है। और केंद्र में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान और आदिवासियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आवधित है। लेकिन संविधान ने राज्यों को अपनी स्थिति के अनुसार आरक्षण करने की छूट दी है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक राज्य ने इन कमज़ोर वर्गों को जनसंख्या के आधार पर निधानसभा, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नियन्त्रित किया है। ऐसी स्थिति में राज्यों में आरक्षण समान नहीं है।

अब प्रश्न ठंडा है कि आदिवासियों के लिए आरक्षण के स्थान शोड़े वर्गों हैं? और दूसरी ओर अनुसूचित जातियों को आरक्षण के अधिक स्थान दिये गये हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कठिन नहीं हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है और इसलिए उन्हें आरक्षण के स्थान अधिक है; आदिवासी जनसंख्या में शोड़े हैं।

और इसलिए उनके लिए स्थान भी शोड़े हैं। व्यवस्था यहीं पर आकर आदिवासियों के सुध न्याय नहीं करती। हमारा बुनियादी तर्क यह है कि आदिवासी समाज अनुसूचित जातियों के समाज से भिन है। प्राचीन ब्राह्मण से या ब्राह्मण जब ये वर्ण जातस्था बनी हैं, अनुसूचित जातियों हिंदू जाति व्यवस्था की ओर रही है। ये जातियों उच्च जातियों के गाँव एक ही गाँव या कस्बे में रहते हैं। इन अनुसूचित जातियों ने उच्च जातियों के संपर्क में रहकर बहुत कुछ गोस्ता है। उनके गोत्र-रिवाज भी उच्च जातियों के गाँव रहे हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत कमी भी वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने पूरी कर दी। अब कम से कम जातीयों में ले असूश्वता कम हो रही है। पिछड़ी जातियों की जाति मुख्यधारा में बेहतर स्थिति होने के कारण उन्हें विकास के लाभ वो आदिवासी जातियों को तुलना में अधिक भुनाया है।

आदिवासी एक मुश्किल समाज को बनाते हैं। हाल में भारतीय मानव विज्ञान संवेदन्श्वर ने के.एस. सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पीपल ऑफ इंडिया (जहां क्रिस्टो मे) प्रकाशित किया है। इसमें के.एस. सिंह बताते हैं कि आदिवासी आज भी जातीय सामाजिक व्यवस्था से बाहर हैं। उनमें कोई वर्ण जातस्था नहीं है। व्यष्टि इन जनजातियों ने इसाई और हिंदू धर्म को अपनाया है किंतु भी अपने मूल में वे अब भी आदिवासी धर्म के अनुवायी हैं। उनके रस्म रिवाजों में हिंदू जातियों के पुरोहित नहीं आते। आदिवासी चहे राम और कृष्ण की पूजा कर ले पर उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूजा वे उनके अपने स्थानीय देवी-देवताओं के माध्यम से ही होती है। आदिवासियों जो एक भाग ने आद्यनिकता को आपाना लिया है। पिर भी आप आदिवासी हिंदू जातियों वो पुख्यधारा से पृथक हैं।

बहुत थोड़े शब्दों में कहा जाये तो कहेंगे कि पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों वो समस्या उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक निर्योग्यता में विहित है जबकि आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक शीर्ष में तो पिछड़े हैं ही, उनमें मुख्यधारा को पृथक्करा बहुत बड़ी रुकावट है। अतः हमारी संविधानात्मक व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समान स्तर पर रखा है यह गौलिक कमी है। हर स्थिति में अनुसूचित जनजातियां पिछड़ी जातियों की तुलना में पीछे

है। यह एक शब्दविवर बात है कि आदिवासियों ने जमीं भी इस तरह के व्यवहार के लिए अपनी आवाज़ नहीं ठड़ाई है। साक्षात् निर्माणाओं में अपेक्षाकार पिछड़े वर्गों के नेता थे। उन्होंने इन जातियों के आखण्ण के लिए तो पर्याप्त सुविधा कर दी लेकिन जनजातियों के सामने ऐसा कोई नेहत्व नहीं था और विकास के दृष्ट बटवारे में दे हमेशा के लिए पिछड़ गये।

हमारा भी सियासी वह है कि संक्षणात्मक भेदभाव में विज्ञान के लाभवर्गों का जो लाभ पिछड़े वर्गों को मिला है उनमें आदिवासी पिछड़ गये हैं और अनुसूचित जातियों ने अलैक लाभ उठाया है। लाभ के गुणवत्ता तीन थेट हैं: (1) संशोध और विद्यानस्थान में आखण्ण, (2) नौकरियों में आखण्ण, और (3) शिक्षा में आखण्ण।

अब हम विज्ञान से आखण्ण से प्राप्त होने वाले लाभ का उल्लेख करेंगे :

### संसद और विद्यानस्थान

हम गवर्नेंट के देश में सभ्यते पहले देखें। संसद और विद्यानस्थान में इन वर्गों के लिए जैव कि हमने पहले कहा है 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्यों की विज्ञान सभा में ये स्थान उन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षित किये गए। उदाहरण के लिए 1999 में संसद में अनुसूचित जातियों के 79 (14.5 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों के 41 (7.5 प्रतिशत) मंसद थे। इन संसदों ने संसद में आपनी भूमिका का निर्वाचन भागि विज्ञान संकाय प्रमाण जुटाना बहुत बातिन है। ये संसद कलाजीर वर्गों के होकर भी आपना में देश और भागि तथा सम्बूद्धि के आधार पर बढ़े हुए हैं। इन्होंने पर भी अनुसूचित जातियों के कुछ संघट ऐसे हैं जिनका स्थान ऊंचा उठ जाता है। इनमें बाबा शाहब अंदेहकर और जगजीवन राम दिगंबर के संसद हैं। आर.के. नारायण, बृंदा सिंह, गमविनाय पासवान, जाशीरग और मायावर्णी या वा सासद है या विज्ञान सभा के सदरस्य हैं। ये सदस्य अनुसूचित जातियों के होकर भी विज्ञानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। उधर दूसरी ओर इस तरह के कोई महत्वपूर्ण संसद या विज्ञानसभा के सदस्य नहीं हैं जो अनुसूचित जनजातियों के द्वारा और विज्ञान संसद या विद्यानस्थान में आपनी नाम हो। अपवाह रूप से संगम वा नाम लिया जा सकता है जो

आदिगायों है ये किन उनके देश में भी उनके अनुवासी बहुत थीं हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि लास्टीट स्तर पर अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत पीछे है। यह कहा जा सकता है कि देशीय स्तर पर बुछ ऐसे आदिवासी सदस्य हैं जो अनुसूचित जातियों के साथ सत्ता में भागीदारी करते हैं।

### सरकारी सेवाएं

सरकारी सेवाओं के कई स्तर हैं। सामान्यतया इन्हें घार स्तरों में बांटते हैं: अ. ब. च. और दा। इन सेवाओं को हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों की प्रतिशत भागीदारी के अनुसार निम्न तालिका में रखते हैं:

#### तालिका 1

अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सरकारी नौकरियों के विभिन्न स्तरों में भागीदारी

सरकारी सेवाओं की स्तरों के	अनुसूचित जातियों के	प्रतिशत अनुसूचित जातियों के	प्रतिशत अनुसूचित जातियों के	प्रतिशत अनुसूचित जातियों के	
अ. ब. च. दा.	65,408	6,637	10.15	1,801	2.85
ब	1,08,857	13,707	12.67	2,913	2.68
च	23,41,863	3,78,179	16.15	1,30,179	5.69
दा	10,41,083	2,21,380	21.28	62,453	6.48
कुल	65,57,210	6,19,986	17.43	9,16,456	5.78

स्रोत: रिपोर्ट: देशवाल कमोशाल सर शिल्पशुल्क अस्ट एवं लालशुल इन्हें कोल्काता, 1/1996-97 और 1/1997-98

उत्तर की तालिका ने बहुत स्पष्ट है कि नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सुन्दरी में बहुत कम स्थान मिलते हैं। जहाँ 17.43 प्रतिशत अनुसूचित जातियों सरकारी नौकरियों में है वहाँ अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 5.78 है। सरकारी नौकरियों के इस स्तर की बाति हम विशेषता के आधार पर देखते हो बड़े बौज्जने वाले गृह मिलते हैं। उदाहरण के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय में 1995 में 700 अव्यापकों में केवल 7 अध्यापक कमजोर वर्गों के थे। यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र में देखते हो तो और अधिक विशेष मिलती है। आकड़ों के बाल वा किसी भी दृष्टिकोण से देखें बहुत स्पष्ट है कि विकास के लाभ का बहुत धीमा हिस्सा कमजोर वर्गों को भित्ता है और कमजोर वर्गों में भी सबसे नीचे अनुसूचित

जनजातियों के लोग हैं।

### शिक्षा

आरक्षण के किसी भी लाभ को लें इसकी बहुत बड़ी पूर्व आवश्यकता शिक्षा है। सरकारी कार्यालयों में, चिकित्सा में और शिक्षा में काम करने के लिए उच्च शिक्षा का होना आवश्यक है। इस हिसाब से हम जब आंकड़ों को देखते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। उदाहरण के लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रोफेसर के स्थान पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 0.96 है और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 0.33 है। रीडर के स्थान पर काम करने वाले अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिशत 1.78 है और आदिवासियों का 0.53 है। व्याख्याता के स्तर पर यह संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। अनुसूचित जातियों के सदस्य व्याख्याता के पद पर 3.22 प्रतिशत है और आदिवासी 0.79 है। ये सब आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सेवा के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों बराबर अनुसूचित जातियों के पीछे रही हैं।

इस लेख में हमने इस तथ्य को रखा है कि संविधान लागू करने के बाद संरक्षणात्मक भेदभाव की जिस नीति और कार्यक्रम को हमने लागू किया है इसमें कमजोर वर्गों में अधिक लाभ अनुसूचित जातियों को मिला है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछड़े वर्गों में जहां विजातीयता बहुत थोड़ी थी, विकास के परिणामस्वरूप बढ़ गई है। इसने हमारे एकीकरण के प्रयास को भी हनिपहुंचाई है। अब विकास ने जनजातियों को अनुसूचित जातियों से अलग-थलग कर दिया है। विकास की जिस नीति को इस देश ने अपनाया है वह व्यवस्था का दोष मात्र है। पहला दोष तो यह है कि हमने बुनियादी रूप से असमान समूहों को एक समूह यानी पिछड़े वर्गों में डाल दिया है। अनुसूचित जनजातियों की समस्या पृथक्करण की है और अनुसूचित जातियों की समस्या अस्पृश्यता की है और मजेदार बात यह है कि दोनों को एक साथ एक ही श्रेणी में डाल दिया है। विकास की दौड़ में आदिवासी पिछड़ गये हैं इसका कारण हमारी विकास व्यवस्था है। इसमें सुधार संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है।